



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./04/38/2018/एफ.सी./23।

दिनांक: 29.06.2018

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/TRANS/29629/2017

विषय: जनपद चित्रकुट में राष्ट्रीय मार्ग संख्या-76/35 (इलाहाबाद से बांदा मार्ग) के किनारे 332 किमी० से 349 किमी० (ओबरी से कटिया तक) प्रस्तावित 33/11 के०वी० विद्युत लाईन निर्माण हेतु प्रभावित 2.55 हे० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 325 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:- विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- 2204/14-2-2018-800(68)/2018, दिनांक- 15.06.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रस्ताव के अवलोकन के दौरान यह पाया गया कि पारेषण लाईन बिछाये जाने के लिए वन अधिनियम 1980 के मार्गदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित पारेषण लाईन के नीचे बौने/औषधीय वृक्षों के रोपण बावत योजना प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त योजना प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रस्ताव में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

भवदीय,

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, चित्रकुट, उ० प्र०।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण चित्रकुट, उ० प्र०।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक(केन्द्रीय)

28/6/18